"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2017—पौष 8, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आनंद प्रताप सिंह आत्मज स्व. अभयराज सिंह उम्र 50 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-03, राजभवन, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पुत्र डी. पी. एस. स्कूल भिलाई में अध्ययनरत है, स्कूल रिकार्ड में उसका नाम आयुष सिंह आ. आनंद प्रताप सिंह दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम आयुष सिंह सेंगर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को आयुष सिंह सेंगर आ. आनंद प्रताप सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

आयुष सिंह
पिता-श्री आनंद प्रताप सिंह
निवासी-सड़क नं.-03, राजभवन,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

आयुष सिंह सेंगर
पिता-श्री आनंद प्रताप सिंह
निवासी-सड़क नं.-03, राजभवन,
प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई,
तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हर्षद चौधरी आत्मज श्री दिगम्बर माधव चौधरी, उम्र 44 वर्ष, निवासी-जी. ई. रोड, फारेस्ट आफिस के पीछे, रानी सती मंदिर के पास, राजातालाब रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा सही व वास्तविक नाम हर्षद चौधरी दर्ज है, किन्तु मेरे पेन कार्ड में व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा नाम हर्षद दिगम्बर चौधरी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम हर्षद चौधरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे हर्षद चौधरी आ. श्री दिगम्बर माधव चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| हर्षद दिगम्बर चौधरी<br>पिता-दिगम्बर माधव चौधरी<br>निवासी-जी. ई. रोड, फारेस्ट आफिस<br>के पीछे, रानी सती मंदिर के पास,<br>राजातालाब रायपुर,<br>तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) | हर्षद चौधरी<br>पिता-दिगम्बर माधव चौधरी<br>निवासी-जी. ई. रोड, फारेस्ट आफिस<br>के पीछे, रानी सती मंदिर के पास,<br>राजातालाब रायपुर,<br>तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. बी. मृणालिनी राव आत्मजा श्री बी. जनार्दन राव, उम्र 25 वर्ष, निवासी-कामराज जगमग ब्लाक, बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम मृणाली राव पिता बी. जे. राव (बी जनार्दन राव) माता श्रीमती कृष्णा (बी. कृष्णा वेणीराव) व मेरी जन्म तिथि 11-05-1992 दर्ज है जो कि वास्तविक व सही है. मेरे कक्षा 1 ली के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम बी. मृणालिनी राव आत्मजा श्री बी. जे. राव दर्ज है. 17-05-1993 को मेरी मां का देहान्त हो जाने के कारण मैं अपने बड़े पिताजी व बड़ी मां के यहाँ पली-बढ़ी हूं तथा उन्ही के पास रहकर आगे की पढ़ाई की हूं. इस कारण मेरे अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में पिता श्री बी. के. राजू तथा माता के स्थान पर श्रीमती बी. जया लक्ष्मी राव दर्ज है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया व सही नाम/उपनाम कु. बी. मृणालिनी राव आत्मजा श्री बी. जनार्दन राव एवं स्व. बी. कृष्णा वेणीराव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कु. बी. मृणालिनी राव आत्मजा श्री बी. जनार्दन राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| मृणाली राव<br>पिता-श्री बी के. राजू<br>निवासी-कामराज बिल्डिंग,<br>जगमग ब्लाक,<br>बिलासपुर (छ. ग.) 495004 | कु. बी. मृणालिनी राव<br>पिता-श्री बी. जनार्दन राव<br>निवासी-कामराज बिल्डिंग,<br>जगमग ब्लाक,<br>बिलासपुर (छ. ग.) 495004 |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमल दिगम्बर चौधरी ध. प. श्री दिगम्बर माधव चौधरी, निवासी- जी. ई. रोड, फारेस्ट आफिस के पीछे, रानी सती मंदिर के पास, राजातालाब, रायपुर तहसील व जिला- रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कमल चौधरी था.मेरे पेनकार्ड में भी यही नाम दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम कमल दिगम्बर चौधरी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे कमल दिगम्बर चौधरी ध. प. श्री दिगम्बर माधव चौधरी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कमल चौधरी<br>पति-श्री दिगम्बर माधव चौधरी<br>निवासी- जी. ई. रोड, फारेस्ट आफिस के पीछे,<br>रानी सती मंदिर के पास,<br>राजातालाब, रायपुर,<br>तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.) | कमल दिगम्बर चौधरी<br>पति-श्री दिगम्बर माधव चौधरी<br>निवासी- जी. ई. रोड, फारेस्ट आफिस के पीछे,<br>रानी सती मंदिर के पास,<br>राजातालाब, रायपुर,<br>तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar Shrivastava) आत्मज स्व. कमलेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव (Kamleshwari Prasad Shrivastava) उम्र 61 वर्ष, निवासी-के. डी. पब्लिक स्कूल के पीछे, वार्ड नं.-53, पोटियाकला रोड, मिनाक्षी नगर, कालोनी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, शासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरे पिताजी का नाम

कमलेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव (Kamleshwari Prasad Shrivastava) दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे पेन कार्ड में मेरे पिता का नाम कमली प्रसाद (Kamli Prasad ) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (Pradeep Kumar Shrivastava) आत्मज स्व. कमलेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव (Kamleshwari Prasad Shrivastava) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आ. स्व. कमलेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| प्रदीप कुमार श्रीवास्तव<br>पिता-कमली प्रसाद<br>निवासी- के. डी. पब्लिक स्कूल के पीछे,<br>वार्ड नं.-53, पोटियाकला रोड,<br>मिनाक्षी नगर, कालोनी दुर्ग,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | प्रदीप कुमार श्रीवास्तव<br>पिता-स्व. कमलेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव<br>निवासी- के. डी. पब्लिक स्कूल के पीछे,<br>वार्ड नं.-53, पोटियाकला रोड,<br>मिनाक्षी नगर, कालोनी दुर्ग,<br>तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजयलक्ष्मी सिंह आत्मजा श्री तेजप्रताप सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-12/एफ, सड़क-09 सेक्टर-04, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र, कालेज की अंकसूची में मेरा नाम विजयलक्ष्मी सिंह दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे दसवीं, बारहवीं की अंकसूची में व अन्य आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में मेरा नाम विजयलक्ष्मी दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम/उपनाम विजयलक्ष्मी सिंह (Vijaylaxmi Singh) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे विजयलक्ष्मी सिंह आत्मजा श्री तेजप्रताप सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

विजयलक्ष्मी (Vijaylaxmi)
पिता-श्री तेजप्रताप सिंह
निवासी- क्वा. नं.-12/एफ,
सड़क-09 सेक्टर-04, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

विजयलक्ष्मी सिंह (Vijaylaxmi Singh)
पिता-श्री तेजप्रताप सिंह
निवासी- क्वा. नं.-12/एफ,
सड़क-09 सेक्टर-04, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनुसुईया ध. प. श्री समुंद सिंह उम्र 47 वर्ष, जाति हल्बा, निवासी-ब्लाक नं.-64/जी, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मेरे बच्चों के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा सही नाम श्रीमती अनुसुईया दर्ज है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती अनसुईया बाई (ANSUIYA BAI) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम श्रीमती अनुसुईया (Smt. Anusuiya) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र का प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अनुसुईया ध. प. श्री समुंद सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

श्रीमती अनसुईया बाई
(Smt. Ansuiya Bai)
पति-श्री समुंद सिंह
निवासी- ब्लाक नं.-64/जी,
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

श्रीमती अनुसुईया
(Smt. Anusuiya)
पति-श्री समुंद सिंह
निवासी- ब्लाक नं.-64/जी,
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

# विविध

## निविदा सूचनाएं

### कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2017

क्रमांक/सी.जी./फार्मा/2017/2340.—छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउन्सिल की दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को हुये बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउन्सिल के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन सम्पन्न हुआ. निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 23 के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के अध्यक्ष पद हेतु श्री जगदीश कुमार पटेल, रायपुर.
2. फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 23 के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के उपाध्यक्ष पद हेतु श्री रणजीत सिंह सलूजा, कबीरधाम.
3. फार्मेसी एक्ट, 1948 के सेण्ट्रल एक्ट की धारा 3 (जी) के अधीन फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया के प्रतिनिधि सदस्य हेतु श्री सन्दीप बजाज, रायपुर
4. फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 27 के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के 3 कार्यकारिणी सदस्यों हेतु क्रमशः

   (1) श्री केशव प्रसाद दुबे, बिलासपुर
   (2) श्री हीरा शंकर साहू, दुर्ग
   (3) श्री राज कुमार अग्रवाल, रायगढ़ निर्वाचित घोषित किये गये.

**डॉ. श्रीकान्त राजिमवाले,**
रजिस्ट्रार.

---

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2017

क्रमांक/परि./2017/2760.—वस्तुतः महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सारबहरा विकास खंड गौरेला जिला बिलासपुर पं. क्र. 3902 दिनांक 27-07-1998 कई वर्षों से अकार्यशील एवं बंद होने एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु सदस्य के द्वारा कोई रूचि नहीं ले रहे है एवं निर्वाचन कराने में भी असमर्थ होने का लेख करते हुए संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तसीगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सारबहरा पं. क्र. 3902 दिनांक 27-07-1998 विकास खंड गौरेला जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी गौरेला को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

**दिलीप जायसवाल,**
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.